सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 1833/2017

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

गोपाल पुत्र रामदेव जाति तेली निवासी अजमेरी गेट केकड़ी, तहसील केकड़ी जिला अजमेर
वादी

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र रामदेव जाति तेली निवासी अजमेरी गेट केकड़ी, तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. उपपंजीयन केकड़ी, तहसील केकड़ी जिला अजमेर
3. तहसीलदार केकडी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
4. प्रबन्धक बैंक ऑफ बडोदा शाखा केकड़ी, तहसील केकड़ी जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
शामिल पत्रावली
राजस्व वाद स. 1854/2017

भंवरलाल पुत्र रामदेव जाति तेली निवासी अजमेरी गेट केकड़ी, तहसील केकड़ी जिला अजमेर
वादी

बनाम

1. गोपाल पुत्र रामदेव जाति तेली निवासी अजमेरी गेट केकड़ी, तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. तहसीलदार केकडी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,92ए,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

दिनांकः–30.05.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प सलारी में पेश हुई। वादी/प्रतिवादीगण उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 53,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वादग्रस्त भूमि वाके कस्बा केकडी के जमाबन्दी स. 2069–72 के खाता स. 1180 खसरा नम्बर 226, 227, 229, 232, 235 किता 5 कुल रकबा 4.78 है. आराजीयात में वादी का 1/2 हिस्सा है। ग्राम तसवारिया के जमाबन्दी स. 2071–74 के खाता स. 192 के खसरा नम्बर 311,314,1347,1348,1355 कुल किता 5 कुल रकबा 4.72 है. में वादी का 1/2 हिस्सा है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात में वादी व प्रतिवादी स. 1 की सयुंक्त खातेदारी की आराजी है। संयुक्त कब्जे काश्त चली आ रही है। वाद वर्णित आराजीयात में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी स. 1 का 1/2 हिस्सा है , इस प्रकार वादी व प्रतिवादी स. 1 उक्त आराजीयात में बराबर बराबर हिस्सेदार है । प्रतिवादी स. 1 वाद वर्णित आराजीयात को बिना विधिक बंटवारे के किसी अन्य को विक्रय करना चाहते है इसलिये आराजीयात संयुक्त रखना हानिप्रद है। प्रतिवादी स. 1 ने वादी को कब्जे व हिस्से की आराजीयात से बेदखल करना चाहा है। वाद वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी स. 1 द्वारा जबरन बेदखल करने पर उतारू है। जिसके कारण वादी द्वारा यह वाद पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजीयात का विधिक बंटवारा किया जाकर प्रतिवादी स. 1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि उक्त आराजीयात में वादी के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी या बाधा उत्पन्न न करें एंव न ही आराजीयात को रहन , बेचान आदि से स्थान्तरित करें।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद शर्मा व प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री अश्विनी कुमार सहाय ने पावर पेश किया। प्रतिवादीगण का जवाब पेश नही हुआ है। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि वादग्रस्त आराजी का कस्बा केकड़ी की जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता नम्बर 1180 व ग्राम तसवारिया के जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता नम्बर 192 का वादी ने दावा पेश किया है साथ ही प्रतिवादी भंवरलाल द्वारा भी इसी आराजी का दावा पृथक से ओर पेश किया है। दोनो ही वादपत्र एक ही आराजी के व सम पक्षकार होने से नया वाद संख्या 1854/2017 उनवानी भंवरलाल बनाम गोपाल वगै. इस पत्रावली में शामिल किया गया। वादी गोपाल ने वादग्रस्त आराजी में जो हिस्से अवगत कराये है वही हिस्से प्रतिवादी भंवरलाल द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में भी अंकित है। दोनो वादपत्रों मे हिस्से 1/2–1/2 होने से प्रकरण में विवाद की आवश्यकता नही होने से शामिल पत्रावली कर वादी व प्रतिवादी को सुना गया। उभयपक्षों के अधिवक्ता ने भी वादपत्र के पृथक–पृथक निर्णय बाबत कोई विरोध नही किया है तथा निवेदन किया कि पक्षकारान में कोई विवाद आदि नही है वादी व प्रतिवादी को मुताबिक जमाबन्दी अनुसार बंटवारा कर दिया जावे।

अतः वादी का दावा वाके कस्बा केकड़ी की जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या 1180 एवं ग्राम तसवारिया की जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता संख्या 192 में वर्णित आराजी का दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 ,209, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार केकड़ी को वादग्रस्त आराजी का बंटवारा किये जाने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा, ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश करें तथा उभयपक्षों को जरिये निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी में उनके हिस्से अनुसार एक दूसरे के कब्जे काश्त व स्वामित्व में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें।

निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी